



Neutral Citation No. - 2026:AHC:39992

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 5368/2026

योगेश

...आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

... विपक्षी

आवेदक के लिए अधिवक्ता

: जितेंद्र सिंह, प्रेमानंद सिंह

विपक्षी के लिए अधिवक्ता

: जी.ए., सुमित मुर्झा

न्यायालय कक्ष संख्या -65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त आदित्येंद्र उर्फ आदित्येंद्र को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.02.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 5927/2026 में पारित आदेश द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है, जिसकी प्रति इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है और अभिलेख में दर्ज की गई है। अतः यह तर्क दिया गया है कि आवेदक भी समानता के आधार पर जमानत का अधिकारी है। अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता को सिद्ध करने के लिए

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कई अन्य तर्क भी न्यायालय के समक्ष रखी गई हैं। विद्वान अधिवक्ता ने उन परिस्थितियों का भी उल्लेख किया है जिनके कारण अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि वह कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा उचित समझी जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक 18.12.2025 से जेल में निरुद्ध है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

3. विद्वान ए.जी.ए. के साथ साथ वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत याचिका का यह तर्क देकर विरोध किया है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा, हालांकि, वे समानता के संबंध में आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

4. सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय इसे जमानत के लिए उपयुक्त वाद प्राप्त करता है। तदनुसार, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

5. आवेदक **योगेश** को मुकदमा अपराध संख्या 321/2025 अंतर्गत धारा 70(1), 351(3) बी एन एस, पुलिस स्टेशन- जखौरा, जिला ललितपुर में, व्यक्तिगत मुचलका भरने और दो स्थानीय जमानतदारों को समान राशि में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- iii) आवेदक को विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
- iv) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं कारित करेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है या जिसके किए जाने का संदेह है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से हतोत्साहित हो या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

6. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

20 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"